न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 45/2016

अपीलांट

बगदाराम पुत्र मूलारामजी उम्र 56 वर्ष, जाति सुथार निवासी भवरानी तहसील आहोर जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. चेलाराम पुत्र सगरामाजी
2. नवाराम पुत्र सगरामाजी
3. डायाराम पुत्र सगरामाजी
4. अम्बालाल पुत्र सगरामाजी
5. रामेश्वरी पुत्री सगरामाजी तमाम जातिगण कुम्हार निवासीगण भवारानी तहसील आहोर जिला जालोर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सरदार खान खोखर, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री चेनाराम पटेल विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 06

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर आहोर द्वारा वाद संख्या 172/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा भवरानी चक नंबर 2 तहसील आहोर के खसरा नंबर 2235 रकबा 0.28 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 3470/2335 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 0.38 हैक्टर आराजी रेस्पोडेंन्टगण की खातेदारी है। खसरा नंबर 2335 के पश्चिम दिशा में अपीलांट की आराजी स्थित है। जिसके खसरा

नंबर 3416/2337 है। खसरा नंबर 2335 के पश्चिम दिशा की ओर करीबन 24 मीटर आराजी पर अपीलांट द्वारा कब्जा कर पक्का मकान निर्माण करने पर उतारू है। अत अपीलांट को रेस्पोडेन्ट की खातेदारी पर से बेदखल करने कर रेस्पोडेन्ट को कब्जा दिलाने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की तामिल विधिवत रूप से नहीं करवाई गई। उसके उपरांत कैम्प कोर्ट राजस्व लोक अदालत का नोटिस दिनांक 03.06.2016 को भेजा गया। वह भी अपीलांट का तामिल नहीं करवाया गया। अपीलांट का अपीलांट की स्वंय की खातेदारी आराजी 0.40 हैक्टर पर ही कब्जा है। इससे ज्यादा अपीलांट के पास खातेदारी जमीन नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने अपने दावे में अपीलांट की खातेदारी उनके पश्चिमी दिशा में होना बताया है। उक्त खातेदारी मे रेवेन्यू रेकर्ड अनुसार अपीलांट के भाई नेनाराम एवं मोहनलाल का भी नाम है। किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा दावे में उनको पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की जमीन का मकान एक ही लाईन में है। एवं अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट ने उक्त आराजी जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 29.11.1994 को खरीदी है। एवं उक्त दिन से अपीलांट का उक्त आराजी पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना विधिवत तामिल करवाये सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा भवरानी चक नंबर 2 तहसील आहोर के खसरा नंबर 2235 रकबा 0.28 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 3470/2335 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 0.38 हैक्टर आराजी रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी है। खसरा नंबर 2335 के पश्चिम दिशा में अपीलांट की आराजी स्थित है। जिसके खसरा नंबर 3416/2337 है। खसरा नंबर 2335 के पश्चिम दिशा की ओर करीबन 24 मीटर आराजी पर अपीलांट द्वारा कब्जा कर पक्का मकान निर्माण करने पर उतारू है। अत अपीलांट को रेस्पोडेन्ट की खातेदारी पर से बेदखल करने कर रेस्पोडेन्ट को कब्जा दिलाने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस पर "अपीलांट घर पर नहीं मिला एवं एक प्रति खुले आबाद मकान पर चस्पा किया गया" की रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके पश्चात अपीलांट को लोक अदालत कैम्प का नोटिस जारी किया गया, जिस पर "बगदाराम पुत्र मूलाराम ने लेने से इंकार किया" की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद की जानकारी होने के पश्चात जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी

रेस्पोडेन्टगण के वाद के समर्थन में भबूताराम, डायाराम ने मुख्य साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये। उक्त गवाहो ने रेस्पोडेन्टगण की आराजी पर अपीलांट का नाजायज कब्जा होना ताईद किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पैमाईश फर्द दिनांक 10.06.2015 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टगण की आराजी पर अपीलांट का कब्जा होने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त सबूतो, मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा भवरानी चक नंबर 2 तहसील आहोर के खसरा नंबर 2235 रकबा 0.28 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 3470/2335 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 0.38 हैक्टर आराजी रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी है। खसरा नंबर 2335 के पश्चिम दिशा में अपीलांट की आराजी स्थित है। जिसके खसरा नंबर 3416/2337 है। खसरा नंबर 2335 के पश्चिम दिशा की ओर करीबन 24 मीटर आराजी पर अपीलांट द्वारा कब्जा कर पक्का मकान निर्माण करने पर उतारू है। अत अपीलांट को रेस्पोडेन्ट की खातेदारी पर से बेदखल करने कर रेस्पोडेन्ट को कब्जा दिलाने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हाजा न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा यह आधार लिया गया है कि अपीलांट का नोटिस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तामिल नहीं करवाया गया एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस पर "अपीलांट घर पर नहीं मिला एवं एक प्रति खुले आबाद मकान पर चस्पा किया गया" की रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके पश्चात अपीलांट को लोक अदालत कैम्प का नोटिस जारी किया गया, जिस पर "बगदाराम पुत्र मूलाराम ने लेने से इंकार किया" की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद की जानकारी होने के पश्चात जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। जिससे अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का बिन्दु गौण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पैमाईश फर्द दिनांक 10.06.2015 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टगण की आराजी पर अपीलांट का कब्जा होने का अंकन है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में भबूताराम पुत्र चुनाजी ने अपने शपथ पत्र में अपीलांट का खसरा नंबर 2335 में अवैध रूप से 24 मीटर आराजी पर कब्जा होना ताईद किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्टगण की आराजी पर अवैध अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट एवं शपथ पत्र के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर आहोर द्वारा वाद संख्या 172/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16-08-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली